न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, अम्बेडकरनगर।

UPAN010009442026

Bail Application/217/2026

शरद मौर्या आयु लगभग 32 वर्ष पुत्र मयाराम साकिन मीरापुर थाना हयातगंज रोडवेज के बगल में थाना कोतवाली टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर। .....अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य.....विपक्षीगण

09.03.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त शरद मौर्या की ओर से अपराध संख्या–35/2026 धारा–319(2),318(4),338,336(3),340(2),61(2)बी.एन.एस थाना–कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है।

2. संक्षेप में अभियोग कथानक के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादी द्वारा थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर में तहरीर इस आशय का दिया गया कि पंजाब नेशनल बैंक शाखा छज्जापुर टाण्डा में पीएनबी मेट लाइफ के एजेंट उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी नई पीली कोठी मुबारकपुर थाना टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा बेईमानी की नियत से कूटरचित पालिसीबाण्ड देकर पैसा हडपने के सम्बन्ध में महोदय, निवेदन है कि मैं 1. त्रिभुवन लाल मौर्य पुत्र सीताराम मौर्य निवासी फत्तुपट्टी टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर तथा मेरी लड़की 2. शिखा मौर्य पुत्री त्रिभुवन लाल मौर्य, 3. सरीता देवी पुत्री त्रिभुवन लाल मौर्य, 4. कमलेश कुमारी मौर्य पुत्री त्रिभुवन लाल मौर्य 5. अनुराधा मौर्य पुत्री त्रिभुवन लाल मौर्य तथा मेरे कस्बे की रंजना गुप्ता पत्नी राजेश गुप्ता निवासी हयातगंज कस्बा टाण्डा व सुन्दरी पत्नी स्व० राहुल निवासी मुबारकपुर थाना टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर से पांच साल में रुपया दुगुना करने के नाम से पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंश कम्पनी का एजेंट उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी नई पीली कोठी मुबारकपुर थाना टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर ने बाण्ड देने के लिये हम लोगो से अलग अलग धनराशि बेईमानी की नियत से हड़प लिया। हम लोगो से सादा चेक हस्ताक्षर कराकर तथा निकासी फार्म पर हस्ताक्षर कराकर तथा कुछ रुपये नगद लेकर बाण्ड के नाम पर लिये थे जिसमें बाण्ड के नाम पर पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस की बीमा पालिसी कर दी गयी तथा कुछ बीमा पालिसी फर्जी एव कूटरचित दे दी गयी। फर्जी पालिसी का पैसा उसने चेक के माध्यम से स्वयं खातो से बैंक मैनेजर व बैंक कर्मियो की मिली भगत से निकाल लिया और कुछ चेको के द्वारा उसने हम लोगो का पैसा अपने सगे सम्बन्धी व रिश्तेदारो के खाते मे भिजवा दिया। हम लोगो के खातो से जब पैसा गया तो उसका मैसेज हमारे मोबाइल नम्बरो पर नही आया और हमारे खातो से इतनी बड़ी धनराशि निकालने अथवा दूसरे के खाते में भेजने के लिये

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2026.03.10 12:30:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बैंक कर्मियो द्वारा कोई जांच नहीं की गयी। इससे स्पष्ट है कि तत्कालीन समय के शाखा प्रबन्धक व अन्य कर्मी की मिली भगत व उनके षड्यन्त्र से हम लोगो का पैसा हड़प लिया गया। हम लोगो के धनराशि का विवरण निम्न है। 1. त्रिभुवन लाल मौर्य कुल रुपया 13,00000 लाख जिसमे 3,00000 लाख की पालिसी कर दी गयी जो सही थी तथा 5,00000 5,00000 लाख की पालिसी पता करने पर फर्जी एवं कूटरचित पायी गयी। 2. शिखा मौर्य पुत्री त्रिभुवन लाल मौर्य कुल रुपया 8,00000 लाख जो एफडी तुड़वा कर वर्ष 2024 में नगद दिया गया था जिसमें 3,00000–3,00000 लाख दो पालिसी दी थी जो जांच कराने पर फर्जी पायी गयी तथा 2,00000 लाख की पालिसी के लिये बहाना बनाकर टालता रहा। 3. सरीता देवी पुत्री त्रिभुवन लाल मौर्य का कुल रुपया 4,00000 लाख जिसमें उसके द्वारा हस्ताक्षर बनवाकर सादा चेक ले लिया था जिसमें 3,00000 लाख की एक फर्जी पालिसी दी गयी। बैंक में जाच कराने पर वह फर्जी पायी गयी तथा एक लाख की पालिसी के लिये बहाना बनाता रहा। 4. कमलेश कुमारी मौर्य पुत्री त्रिभुवन लाल मौर्य का कुल रुपया 4,50000 हजार जिसमें 3,00000 लाख अपनी बहन सरीता के खाते से तथा 1,50000 हजार वर्ष 2024 में दिया था जिसमें एक पालिसी 3,00000 लाख की तथा एक पालिसी 50,000 हजार की फर्जी एवं कूटरचित है तथा 1,00000 लाख की पालिसी सही पायी गयी जिसकी कोई किश्त जमा नहीं किया। 5. अनुराधा मौर्य पुत्री त्रिभुवन लाल मौर्य का कुल रुपया वर्ष 2024 में 1,00000 लाख दिया था जिसकी पालिसी फर्जी एवं कूटरचित पायी गयी। 6. रंजना गुप्ता पत्नी राजेश गुप्ता के द्वारा वर्ष 2022 में 6,50000 हजार रुपये टिये थे जिसमें 2,50000 हजार का बाण्ड दिया जो सही था तथा उसी बाण्ड को कूटरचित करके उसी नम्बर पर 4,00000 लाख का फर्जी बाण्ड दे दिया। 7. सुन्दरी पत्नी स्व० राहुल के द्वारा अपने खाते के दो सादा चेक हस्ताक्षर करके बाण्ड बनवाने के लिये दिये थे तथा बाण्ड की जगह फर्जी एवं कूटरचित पालिसी दे दी गयी जो जांच कराने पर फर्जी पायी गयी। दिये गये फर्जी एवं असली पालिसी बाण्डो की छायाप्रति एवं चेको के द्वारा दिये गये पैसो के सम्बन्ध में अपने अपने खातो का खाता विवरण साथ में दिया जा रहा है। महोदय से निवेदन है कि उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी नई पीली कोठी मुबारकपुर थाना टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर व इसमें सम्मिलित बैंक कर्मी व अन्य के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने की कृ पा करें।

3. प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र में कथन है कि वह निर्दोष है। उसे फर्जी व झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया है जिससे उसे अपराधी समझा जाये। विवेचक द्वारा फर्जी मनगढ़ंत एवं काल्पनिक तथ्यो के आधार पर प्रार्थी का नाम प्रकाश में लाया गया तथा फर्जी गिरफतारी प्रार्थी कि की गयी है। कथित पीएनबी मेटलाइफ को न तो स्कैन कर एडिट किया गया है और न ही कथित घटना से कोई वास्ता सरोकार है। विवेचक द्वारा फर्जी नामजद किया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी की कथित घटना में कोई संलिप्तता नहीं है। तद्नुसार जमानत पर अवमुक्त करने की याचना की गई।

4. जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण धारा–319(2),318(4),338,336(3),340(2),61(2)बी.एन.एस से संबंधित है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर फर्जी व कूटरचित बाण्ड तैयार करने आदि का आरोप है। केस डायरी के पर्चा संख्या–14 में विवेचक द्वारा इस अभियुक्त का बयान अंकित किया गया है जिसमें उसके द्वारा यह कथन किया गया है कि वह कम्प्यूटर पर फोटो स्टेट व टाइपिंग का काम करता हूॅ। उमेर अहमद मेरी दुकान पर कुछ पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंश की पालिसी/बाण्ड लाया था और बताया कि इसी तरह की एडिट करके दूसरे नामों से बाण्ड बनाना है। मैंने उसके पास मौजूद बाण्ड को देखकर मैंने बाण्ड के हिसाब से पैसा तय किया। मैं उन बाण्डो का अन्दर का पहला पन्ना इसी कम्प्यूटर व प्रिंटर पर स्कैन करके नाम पता मोबाइल नम्बर तथा पालिसी नम्बर बदलता था।पन्नो को कलर फोटो कापी करता था। उस पर कलर फोटो करके उसी तरह का बना कर तैयार कर देता था। मेरे द्वारा उमेर को पहला बाण्ड वर्ष 2019 में बना कर दिया था। उसके बाद से उसके द्वारा बताये गये बाण्ड बनाता रहा। इसप्रकार इस अभियुक्त ने अपने 161 के बयान में बाण्ड स्कैन करके उजेर के कहने पर बनाना स्वीकार किया है। अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसके द्वारा बाण्ड को स्कैन कर फर्जीबाडा तैयार किया गया जिसे उसने अपने 161 में उजेर के कहने पर ऐसा करना कहा है। प्रकरण में अभियुक्त की पूरी सहभागिता है। वादी मुकदमा व अन्य साक्षियों द्वारा अपने बयान धारा–161 में घटना का समर्थन किया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर श्रेणी का है। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुण–दोष पर टिप्पणी किये, प्रार्थी का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त शरद मौर्या द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अपराध संख्या–35/2026धारा–319(2),318(4),338,336(3),340(2),61(2)बी.एन.एस थाना–कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर के प्रकरण में खारिज किया जाता है।

दिनांकः–09.03.2026

(राम विलास सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
अम्बेडकरनगर।
जे.ओ.कोड–यू.पी.6067